# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

---

प्रकरण सं. 02/2019

जी.सी.एम.एस. नं.: 2019/00008

1. पाना देवी उर्फ पानो देवी पत्नी निक्कुराम जाति नायक निवासी चक 13 एएस भागसर तहसील श्रीविजयनगर

—अपीलार्थी

बनाम

1. विनोद कुमार पुत्र निक्कुराम जाति नायक निवासी चक 13 एएस भागसर तहसील श्रीविजयनगर
2. सरपंच ग्राम पंचायत, 10 एएस पंचायत समिति व तहसील श्रीविजयनगर

—प्रत्यर्थीगण

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम**

उपस्थिति :—

1. **श्री साहिब बाघला, अधिवक्ता अपीलार्थी**
2. **अनुपस्थित, प्रत्यर्थीगण**

## —:: निर्णय ::—

दिनांक : 28.02.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि :—

1. अपीलार्थी के द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत 10 एएस के आदेश दिनांक 05.09.2011 जिसके द्वारा अपीलाधीन भूमि चक 13 एएस मु.नं. 46 प.नं. 212/476 कि.नं. 11 ता 25 कमाण्ड/अनकमाण्ड मु.नं. 47 प.नं. 213/474 कि.नं. 6 ता 25 कमाण्ड/अनकमाण्ड कुल रकबा 8.855है. में से 1/9 हिस्सा का इंतकाल सं. 327 रेस्पो. सं. 1 के स्वीकार किया गया है से व्यथित होकर यह अपील पत्र मय प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के पेश किया है।
2. अपील पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया। ग्राम पंचायत से अपीलाधीन आदेश संबंधित अभिलेख तलब किया गया। प्रत्यर्थी सं. 1 जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब अपील पत्र पेश किया। तत्पश्चात प्रत्यर्थी सं. 1 के अधिवक्ता द्वारा पैरवी की हिदयात नहीं होने का कथन कर उपस्थित नहीं हुए। प्रत्यर्थी स्वयं के भी अनुपस्थित होने के कारण अधिवक्ता अपीलार्थी को अपील पत्र पर सुना गया।
3. अधिवक्ता अपीलार्थी अपनी बहस में अपील पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन भूमि अपीलाण्ट के पति नीकुराम पुत्र दुदाराम के नाम से दर्ज थी। नीकुराम के देहान्त हो चुका है। नीकुराम ने अपने जीवनकाल में पहली शादी निहालीदेवी के साथ की थी तथा दूसरी अपीलाण्ट के साथ की थी। नीकुराम के निहालीदेवी के सहवास से एक पुत्र विनोद तथा अपीलाण्ट से पुत्रगण रामकुमार व सतपाल पैदा हुए। नीकुराम के देहांत पश्चात विनोद कुमार रेस्पो. सं. 1 ने फर्जकारी करते हुए सरबती देवी को नीकुराम की पत्नी होना बताकर फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर नीकुराम के नाम की भूमि में से 1/9 हिस्सा यानि 0.983है. रकबा का इंतकाल अपने नाम दर्ज करवा लिया। ग्राम पंचायत का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध है। अपीलार्थी को आदेश से पूर्व सुन[illegible]वसर नहीं दिया गया ना ही मौका की जांच की [illegible] का है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश [illegible] प्रकरण की सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन नहीं करवाया गया। रेस्पो. [illegible] द्वारा अधिनस्थ न्याया[illegible] समक्ष प्रस्तुत वारिस प्रमाण पत्र दिनांक [illegible]4.2011 फर्जी है जिसके [illegible] जांच नहीं की गयी। निकुराम का देहान्त दिनांक 17.03.2011 को तथा निकुराम की पहली पत्नी निहाली देवी का वर्ष 2010 में देहान्त हो चुका था। दिनांक 12.09.2018 को पटवारी से विरास्तन इंतकाल दर्ज करवाने की कार्यवाही बाबत सम्पर्क किया जाता अपीलाधीन आदेश का ज्ञान अपीलाण्ट को हुआ। रेस्पों.

न्यायालय उपखण्डाधिकारी श्री विजयनगर

**उपखण्ड अधिकारी**
**श्री विजयनगर**

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.04.07 09:34:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

सं. 1 ने फर्जी वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर सरबती देवी के नाम से भूमि का इंतकाल दर्ज करवा सरबती देवी से भूमि स्वयं के नाम से दस्तबरदारी करवाकर अपीलार्थी के हिस्से की भूमि हड़प ली है। निक्कुराम की जीवनकाल में सिर्फ दो ही शादीयां हुई थी। सरबती देवी से कभी शादी नहीं हुई। सरबती देवी बहादरराम की पत्नी है जो गांव बोदीवाला पीथा तहसील फाजिल्का की निवासी है। इसी प्रकार रेस्पो. सं. 1 ने मृतका निहाली देवी के नाम भी भूमि दर्ज करवा ली। इस संबंध में अपीलार्थी के द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध पुलिस थाना रामसिंहपुर में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 191/18 अन्तर्गत धारा 420,467,468,471 भा.द.सं. में दर्ज करवाई है। अपीलार्थी प्रभावित पक्षकार है जिस कारण अपीलार्थी को अपील पेश करने की अनुमति दिया जाना न्यायसंगत है। अपीलार्थी के द्वारा जानकारी के रोज से बिना किसी देरी के अन्दर मियाद अपील पेश की है इस कारण अपील को अन्दर मियाद मानते हुए अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन इंतकाल आदेश सं. 327 दिनांक 05.09.2011 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

4. बहस वकील अपीलार्थी पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी के द्वारा अपने अपील पत्र के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करने के लिए प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया है, जिसके साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट व अन्तिम रिपोर्ट पुलिस थाना रामसिंहपुर सं. 199/18 की छायाप्रतियां प्रस्तुत की है। अतः प्रस्तुत शपथ पत्र एवं दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील को अन्दर मियाद ग्रहण किया जाता है। अपीलार्थी के द्वारा आदेश दिनांक 05.09.2011 जिसके द्वारा संरपंच ग्राम पचांयत द्वारा इंतकाल सं. 327 स्वीकृत किया गया है को हस्तगत अपील के माध्यम से चुनौति दी गयी है। ग्राम पंचायत 10 एएस के बैठक कार्यवाही रजिस्टर का अवलोकन किया गया। बैठक पंजिका अनुसार दिनांक 05.09.2011 की बैठक के प्रस्ताव सं. 1 के द्वारा क्र.सं. 2 पर इन्तकाल सं. 327 प्रस्तुत किया गया। परन्तु उक्त प्रस्ताव के पारित किये जाने अथवा प्रस्ताव पर किसी प्रकार के निर्णय होने का अंकन ग्राम पंचायत पंजिका में नहीं है ऐसी स्थिति में सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा किये गये नामान्तरण स्वीकृति आदेश को विधिक नहीं ठहराया जा सकता है, चूंकि बिना ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पारित किये ही नामान्तरण स्वीकृत कर दिया गया है। चूंकि आलौच्य आदेश बिना विधिक प्रक्रिया के तथा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायसंगत है।

**—: आदेश :—**

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा आलौच्य आदेश नामान्तरण सं. 327 चक 13 एएस दिनांक 05.09.2011 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार श्रीविजयनगर को इन निर्देशों के साथ प्रेतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उभयपक्ष से दस्तावेज साक्ष्य लेते हुए वारिसान के संबंध में जांच कर नामान्तरण के संबंध में विधिसम्मत [illegible] पारित करें। ग्राम पंचायत का मूल अभिलेख मय निर्णय की प्रति के [illegible] निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीविजयनगर को पालनार्थ प्रेषित की [illegible]

**निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक [illegible].02.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.04.07 09:54:22 IST
Reason: SelfAttested

शकुन्तला
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

Scanned with CamScanner